759695/2025/NPCS(RNI)

सं. एनएस-एमआईएससी0ओटीएचआर /19/ 2025-एनपीसीएस (आरएनआई)

भारत सरकार

भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)

9वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

दिनांक :10.07.2025

2O25 की एड्वाइजरी संख्या 24

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रकाशकों द्वारा फ़ाइल किए गए वार्षिक विवरण में संशोधन -के संबंध में

प्रेस एवं नियतकालिक पत्रिका पंजीकरण नियमावली, 2024 के नियम 9 के साथ पठित प्रेस एवं नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 2023 की धारा 12 में यह निर्धारित किया गया है कि वह प्रकाशक जिसे पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, प्रेस सेवा पोर्टल पर 31 मई तक या संबंधित कैलेंडर वर्ष की विस्तारित अवधि के भीतर पिछले वित्तीय वर्ष का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की तारीख **31/07/2025** तक बढ़ा दी गई है।

2. अत:, सभी प्रकाशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना वार्षिक विवरण नियत तिथि तक फ़ाइल कर दें और यह सुनिश्चित करें कि प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से वार्षिक विवरण की ई-फाइलिंग, फ़ाइल करते समय **पूर्ण, सटीक और विधिवत सत्यापित हो,** क्योंकि प्रेस एवं नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 2023 के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फ़ाइल किए गए **वार्षिक विवरण में संशोधन का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।** एक बार प्रस्तुत किए गए वार्षिक विवरण को ही अंतिम माना जाएगा और इसका उपयोग आधिकारिक रिकॉर्ड और प्रकाशन संबंधी प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

इसे प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(राजित चंद्रन एम.आर.)

उप प्रेस महापंजीयक